भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1573

उत्तर देने की तारीख : 02.08.2023

ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्रीमी लेयर की आय में असमानता

1573. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को क्रीमी लेयर में रखने और सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों की आय असीमित होने की छूट नीतियों में विषमता को दर्शाता है;

(ख) सामान्य वर्ग के 10 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को सरकारी सेवाओं के लिए तय आय की वस्तुस्थिति क्या है; और

(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा तय है और इसे अंतिम बार कब बढ़ाया गया था?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): जी, नहीं।

(ख): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए वार्षिक आय मानदंड 8.00 लाख रूपए है।

(ग): ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए दिनांक 13.09.2017 से निर्धारित आय सीमा 8.00 लाख रूपए है।

******